प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –76 / 2023
अनवान : –

1. राजपाल पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. सरजीत सिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

— **वादीगण**

बनाम्

1. नेतराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक: 03.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 3/60 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। उपरोक्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के काश्तकार हैं।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 3/60 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से प0 नं0 330/372 (40) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की 0.2280 है0, 5/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.2270 है0, 6 ता 8, 14 ता 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल तादादी 2.783 है0 भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी ... आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया ... वाद डिक्री फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादीगण के पैतृक भूमि है जिसे वादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 3/60 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत उपसरपंच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 3/60 की कुल 3.7950 है0 भूमि में से प0 नं0 330/372 (40) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 की 0. 2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की 0.2280 है0, 5/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.2270 है0, 6 ता 8, 14 ता 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल तादादी 2.783 है0 भूमि का वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा उभयपक्षगण अपना अपना वहन करे। इसी आशय

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –76 / 2023

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. सरजीत सिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–– वादीगण

बनाम्

1. नेतराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 76 सन 2023 निर्णय दिनांक 03.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 3/60 की कुल 3.7950 है0 भूमि में से प0 नं0 330/372 (40) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 3/2 की 0.2280 है0, 4/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 खाला, 4/2 की 0.2280 है0, 5/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 खाला, 5/2 की 0.2270 है0, 6 ता 8, 14 ता 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 कुल तादादी 2.783 है0 भूमि का वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–फेफाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:43:34 IST
Reason: SelfAttested